

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज दिनांक—अप्रैल 23, 2019

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 54 वाहनों से मु0-6400/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।
- पैदल गश्त अभियान:—पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते 290 भादवि में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-06 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के द्वारा वांछित व गैर जमानतीय वारन्टीयों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस द्वारा वांछित-04 व वारंटी-02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रेषित किया गया।
- अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—
पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 10 लीटर कच्ची शराब व 477 शीशी नेपाली शराब व 02 अदद साईकिल की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—
- थाना-कोतवाली द्वारा की गयी कार्यवाही—अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र दारा साकिन सिसवा राजा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-314/2019, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

- थाना-नौतनवां द्वारा की गयी कार्यवाही—1.अभियुक्त रामचन्दर पुत्र रामखेलावन साकिन खैराटी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, 2.अभियुक्त इन्दल प्रंसाद पुत्र मेवा साकिन बड़हरा थाना बरगदवा के कब्जे से 300 शीशी नेपाली शराब व 02 अदद साईकिल बरामद कर मु0अ0सं0-116/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना-सोनौली द्वारा की गयी कार्यवाही—1.अभियुक्त संतोष गुप्ता पुत्र नाथू राम, 2.संदीप चौधरी पुत्र संरेश नि0गण बैकुण्ठपुर बोदरवार थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 177 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0सं0-73/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत थाना घुघली से अभियुक्त—सलीम पुत्र सोबराती साकिन नगर पंचायत घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज कब्जे से 01 अदद हाफ ब्लेड का टुकड़ा बरामद कर मु0अ0सं0-निल/2019, धारा-151/109 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।
- जुआ एक्ट में की गयी कार्यवाही—
थाना घुघली पुलिस द्वारा अभियुक्त—1.आकाश जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश, 2.नीरज दुषाद पुत्र श्रीराम, 3.इमरान अहमद पुत्र शाकिर अली नि0गण कस्बा घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से माल फड़ 560 रुपये व 52 पत्ते ताश के बरामद कर मु0अ0सं0-89/2019, धारा 13 जुआ एक्ट केतहत चालान न्यायालय किया गया।
- विवेचनाओं का निस्तारण—पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 22/23.04.2019 को विभिन्न अपराधों में कुल-21 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।